

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गडारोड

नाम महेन्द्र गिठ सोडा राभार बनाम अंजा सोनी वगैर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 53, 188 मुकदमा नम्बर 52/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/7/25	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>महेन्द्र गिठ सोडा राभार</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>53, 188</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/8/25</u> को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> 25/7/2025</p>	
26/8/25	<p><u>फावली पेश हुई</u></p> <p><u>वादी अधिवक्ता उपा</u></p> <p><u>पत्रावली के प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से कोशिश जारी होकर पत्रावली क्रमांक दि. 25/9/25 को पेश हो।</u></p> <p><i>[Signature]</i></p>	
25/9/25	<p><u>फावली पेश हुई</u></p> <p><u>पीठाधीन अधिवक्ता के द्वारा वादी के लक्ष्य को रू पत्रावली क्रमांक दि. 25/11/25 को पेश हो।</u></p>	
25.11.25	<p><u>पत्रावली पेश हुई।</u></p> <p><u>वादी एवं उनके अधिवक्ता मे से कोई उपलब्ध नहीं। आज अदालत समय मे रुक-रुक कर लीन बार आवजे दिलवाये</u></p>	



तारीख
हुक्म

जाने के बावजूद वादी एवं उनके वकील
मे से किसी के उपस्थित नही होने पर उक्त
वद अन्तर्गत धारा आदेश 3 नियम 2 व
आदेश 9 नियम 3 के तहत अदम हाजरी
व अदम पैरवी मे श्वारिज किया जाता है।
पञ्जावली फौजदारी सुभार होकर दाखिल फकर हो

322